श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

Atrocities against people belonging to specific community

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।

महोदय, सदियों से दबे-कुचले, शोषित, दलित और आदिवासी समाज के साथ अत्याचार और शोषण किया गया। इस शोषण तथा अत्याचार को रोकने के लिए संवैधानिक कानून एससी/एसटी एक्ट, 1989 बनाया गया। इस कानून को बचाने के लिए दलित व आदिवासी समाज एवं सर्वसमाज के प्रबुद्ध लोगों ने 2 अप्रैल, 2018 को लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकार के तहत एक आन्दोलन का आह्वान किया था, जिसमें देश के समस्त दलित और आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और शान्तिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके पश्चात् दलितों और आदिवासियों की पीड़ा को समझते हुए, तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश के जरिए एससी/एसटी एक्ट को पुनः बहाल किया तथा उसको और भी प्रभावशाली बनाया। लेकिन इस शान्तिपूर्ण बंद को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने उस आन्दोलन के दौरान हिंसा फैलायी, जिसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में बिना उचित जाँच के, बंद में शामिल दलित आदिवासियों के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगाये - एक-एक व्यक्ति पर 5-5, 10-10 मुकदमे दर्ज हुए, 25 से 30 धाराएँ लगायी गयीं। इसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर कम से कम 15,000 और पूरे देश के अन्दर लगभग लाखों लोगों पर मुकदमे दायर किये गये।

श्रीमान् जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इन आन्दोलनों में सरकार ने उनकी बात को सुन भी लिया और मान भी लिया। इससे पहले देश के अन्दर और भी आन्दोलन हुए, किसान आन्दोलन भी हुआ, इससे पहले राजस्थान में आन्दोलन हुआ और हरियाणा में भी आन्दोलन हुए। उन

आन्दोलनों में सरकार ने उनकी बात को सुना भी और उनकी बात को माना भी तथा उस वक्त उन पर लगे तमाम तरह के केसेज़ को हटाया भी गया।

श्रीमान् जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुज़ारिश करता हूँ कि एससी/एसटी एक्ट को बहाल करने के लिए हुए इन आन्दोलनों में एससी, एसटी के जो लोग शामिल हुए थे, उन पर लगे मुकदमों को वापस किया जाए और इन कमजोर वर्गों के साथ भी न्याय किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से तमाम एससी, एसटी के जो लोग हैं, वे नौकरियों से रिजेक्ट किये जा रहे हैं। इस पर भी सरकार ध्यान दे, यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से डिमांड है, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

Non-implementation of sanctioned railway projects in Andhra Pradesh

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for the opportunity.

At the outset, I would like to compliment and thank hon. Prime Minister, hon. Minister for Railways for giving special attention to the development of railway projects in Andhra Pradesh.

Thirty-three new projects have been taken up, and, of these, in twenty-one projects, the Central Government is incurring a hundred per cent cost. But there are six projects where the State Government was expected to share the cost of the construction, cost of new lines but the State Government has expressed its inability. So, I would like to request the hon. Minister to engage with the State Government and find innovative ways of funding them because the State Government has no funds and it has expressed its inability.